कम्प्यूटर- परिपत्र संख्या- 1415102

पत्र संख्या-आई0टी0-अनुरक्षण(NICSI)/ 2014-2015/ 252 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 - अनुभाग)

दिनांक::::लखनऊ::::दिसम्बर, 15, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विभाग में किये गये कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत विगत वर्षो में जो कम्प्यूटर हार्डवेयर / उपकरण क्रय किए गये हैं उनकी वारंटी अवधि समाप्त होने के उपरान्त अनुरक्षण स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1004 दिनॉक 22.02.2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

2- इस क्रम में सूचित करना है कि समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 को प्रेषित इस कार्यालय के पत्रांक 1115 दिनॉक 29.03.2011 तथा 1119 दिनॉक 30.03.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में निक्सी द्वारा विभाग की विभिन्न लोकेशन पर आपूर्ति किये गये विभिन्न कम्प्यूटरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के सम्बन्ध में उपकरणों के configuration के साथ-साथ अन्य आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए उपकरणों की वारण्टी अवधि से भी अवगत कराया गया था जो निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	**उपकरण का नाम**	**वारण्टी अवधि (स्थापना की तिथि से)**
1	एच0सी0एल0 डेस्क टाप	03 वर्ष
2	ट्राइट्रानिक्स यू0पी0एस0	03 वर्ष (बैटरी 01 वर्ष)
3	एच0पी0 कलर लेजरजेट प्रिन्टर	01 वर्ष
4	एच0पी0 लेजरजेट प्रिन्टर	03 वर्ष
5	प्रोजेक्टर एवं सहवर्ती उपकरण	03 वर्ष
6	एच0पी0 स्कैनजेट स्कैनर	01 वर्ष
7	Cisco स्विच	03 वर्ष आफ साइट वारण्टी

3- इस सम्बन्ध में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 के ई-मेल दिनॉक 22.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग की विभिन्न लोकेशन पर स्थापित उपरोक्त समस्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की वारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी है।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

4- अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त उपकरणों का अनुरक्षण वित्तीय नियमों के अनुरुप समस्त कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपनी वित्तीय सीमा के अन्दर रहते हुए स्थानीय स्तर पर कराया जाय।

5- इस सम्बन्ध में पूर्व की भाँति समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर का भी दायित्व होगा कि वह अपने सम्भाग/जोन के कार्यालयों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों में स्थापित समस्त कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण सही तरीके से कार्य कर रहें है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनॉक उक्त

प्रतिलिपिः- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।